विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, सिविल लाईन्स
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 09/06/2011

क्रमांक 2336/वि–6/इंआयो/2011

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **इंदिरा आवास योजनांतर्गत धुंवारहित चूल्हा एवं शौचालय निर्माण बाबत ।**

संदर्भ :– **संचालक (RH), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, का पत्र दिनांक 13 मई, 2011 एवं संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र दि. 18 मई, 2011**

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित 2 पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एस. आलोक)
उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

No. M13011/1/2007-RH
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Section-Policy Cell)

Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001
Dated the 13th May, 2011

To

Secretaries incharge of
Rural Development/Rural Housing of all States/UTs

Subject :- Indira Awaas Yojana (IAY) : Deletion of the clause "including Sanitary latrine and smokeless Chulha" from para 3.1 (a) reg.

Sir,

I am directed to say that it has been decided with the approval of competent authority to modify the para 3.1 (a) of the guidelines as under:

Existing Provision

(a)	Construction of house including **sanitary latrine and smokeless chulha**	Rs.45,000/- in Plain Areas and Rs.48,500/- in Hilly/Difficult Areas
(b)	Upgradation of un-serviceable households	15,000 in both the areas.

Revised Provision

Para 3.1: The ceiling on grant of assistance per unit cost under the Indira Awaas Yojana for construction of a new house and upgradation of an unserviceable kutcha house is given as under:

(a)	Construction of house	Rs.45,000/- in Plain Areas and Rs.48,500/- in Hilly/Difficult Areas
(b)	Upgradation of un-serviceable households	15,000 in both the areas.

DC(A)

Necessary instructions to all the DRDAs in your State and to other concerned officials involved in the implementation of Indira Awaas Yojana may be issued accordingly.

Yours faithfully,

(A.K.Sood)
Director (RH)

J-11012/2/2006-RH
Government of India
Ministry of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 18th May, 2011

To

Principal Secretary/ Secretary in charge of RD/Housing
All States/UTs
Principal Secretaries/Secretary in charge of Rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Dovetailing of funds under TSC with IAY for construction of toilets-reg

Sir/Madam

As you may be aware, the Indira Awaas Yojana (IAY) guidelines updated up to May 2010 stipulate that there should be convergence with activities and funds provided under Total Sanitation Campaign (TSC) for providing sanitary latrines in the IAY houses.

The Department of Drinking Water and Sanitation Implements the Total Sanitation Campaign (TSC) under which BPL beneficiaries are provided an incentive of Rs 2200 (Rs 2700/- hilly and difficult areas) on construction of a sanitary latrine .

It has however been observed that the number of IAY beneficiaries availing incentives from the TSC for constructing toilets with the IAY house is extremely low. Instances have also come to notice where the authorities and beneficiaries are not aware that IAY beneficiaries are eligible for additional funds under the TSC for construction of a toilet alongwith the IAY house.

In view of the above, it is requested that the following instructions may be issued to all concerned officials to make the initiative of convergence more effective:

1. All IAY beneficiaries who are sanctioned a house will be sanctioned one toilet each under TSC if eligible, simultaneously and admissible incentives will be provided to the beneficiary from TSC for construction of same. The authority sanctioning of the house under IAY will be responsible for ensuring that in cases where there is no toilet, incentives on construction of a toilet by the IAY beneficiary under the TSC are simultaneously sanctioned.

2. The layout, location and technology of the sanitary latrines in IAY houses must be appropriately designed to ensure safe disposal of faecal waste preferably in leach pit toilet and as per the geophysical conditions of the region.

3. IEC material on TSC be included in IAY publicity material.

4. Joint Training programme must be organized for functionaries under TSC and IAY at State level, District, Block and Gram Panchayat level on provisions of schemes.

ntd....

5. It may be noted that the clause for deduction of Rs. 600 from the IAY unit assistance in case a beneficiary fails to construct a toilet has been deleted from the IAY guidelines w.e.f Feb. 2006. Accordingly, it is reiterated that no deduction is to be made from the unit assistance for construction of houses. However, concentrated efforts should be made for awareness generation of the beneficiaries to ensure that they construct and use toilet while availing of the incentives amount provided under TSC.

Our concerted efforts should be to provide a durable and affordable dwelling unit with a clean and healthy living environment for the rural poor for which a toilet is a primary prerequisite that should be accorded utmost priority.

With regards,

Yours faithfully

13/05/11

(J.S.Mathur)
Joint Secretary (Sanitation)
Deptt. of Drinking Water and Sanitation
Department of Rural Development

(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary(Rural Housing)
Department of Rural Development

Cc : TSC Coordinator, All States/UTs

5

जे-11012/2/2006-आर.एच.
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2011

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण विकास/आवास के प्रभारी सचिव
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : शौचालय के निर्माण के लिए टीएससी के अंतर्गत निधियों को आईएवाई के साथ मिलाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको मालूम होगा कि मई, 2010 तक अद्यतन किए गए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देश में यह निर्धारित है कि आईएवाई मकानों में स्वच्छता शौचालय उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत क्रियाकलापों और उपलब्ध कराई निधियों में सामंजस्य होना चाहिए।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत स्वच्छता शौचालय बनाने के लिए बीपीएल लाभार्थियों को 2200 रु0 (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 2700 रु0) की सहायता दी जाती है।

तथापि, यह देखा गया है कि आईएवाई मकान के साथ शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले आईएवाई लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें प्राधिकारी और लाभार्थी को यह मालूम नहीं है कि आईएवाई लाभार्थी आईएवाई मकान के साथ-साथ शौचालय के लिए टीएससी के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिया जाए ताकि तालमेल संबंधी पहल को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके:

1. सभी आईएवाई लाभार्थी जिन्हें मकान स्वीकृत किया जाता है, उन्हें इसके साथ टीएससी के अंतर्गत एक-एक शौचालय स्वीकृत किया जाएगा और उसके निर्माण के लिए टीएससी निधि से लाभार्थी को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आईएवाई के अंतर्गत म...

स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी ऐसे मामलों में जहाँ शौचालय नहीं है; यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि टीएससी के अंतर्गत आईएवाई लाभार्थी द्वारा शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि साथ-साथ स्वीकृत की जाती है।

2. आईएवाई मकानों में स्वच्छता शौचालयों की रूपरेखा, स्थान और प्रौद्योगिकी समुचित रूप से बनाई जानी चाहिए ताकि विशेषकर सोख्ता गड्ढा वाले शौचालय और क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार मल का निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
3. टीएससी संबंधी आईईसी सामग्री को आईएवाई की प्रचार सामग्री में शामिल किया जाए।
4. टीएससी और आईएवाई के प्रावधानों के संबंध में राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोनों योजनाओं के अंतर्गत कर्मियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।
5. यह नोट किया जा सकता है कि यदि कोई लाभार्थी शौचालय नहीं बना पाता है तो आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता से 600 रु0 की कटौती संबंधी खंड को फरवरी, 2006 से आईएवाई के दिशा-निर्देश से हटा दिया गया है। तद्नुसार, यह दुहराया जाता है कि मकान बनाने के लिए इकाई सहायता में से कोई कटौती नहीं की जाए। तथापि, लाभार्थियों के जागरूकता सृजन के लिए संकेन्द्रित प्रयास किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीएससी के अंतर्गत दी गई प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले शौचालय का निर्माण एवं उपयोग करते हैं।

हमारा संकेन्द्रित प्रयास ग्रामीण गरीबों के लिए स्वच्छ एवं सहायक वातावरण वाला स्थायी एवं सस्ता मकान उपलब्ध कराना होना चाहिए जिसके लिए शौचालय प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जिसे अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सादर,

आपका,

(जे.एस. माथुर)
संयुक्त सचिव (स्वच्छता)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
ग्रामीण विकास विभाग

13.05.11
(संजय कुमार राकेश)
संयुक्त-सचिव (ग्रामीण आवास)
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषित : टीएससी समन्वयक, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र